



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270224  
CG-DL-E-18022026-270224

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947

No. 789]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

**का.आ. 827(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4537 तारीख 06/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में NH66 के कि.मी. 148 से कि.मी.170.6 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 15/10/2025 को “थे हिंदू [इंग्लिश]”, 15/10/2025 को “मलयाला मनोरम” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

केरल राज्य के कन्नूर जिले में NH66 के कि.मी. 148 से कि.मी. 170.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: केरल			जिले का नाम: कन्नूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कन्नूर					
गांव का नाम: कदमबूर (कदमबूर )					
1	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.0001	अनिल कुमार 68/29
2	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.001	अनिल कुमार 68/30
3	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.0024	अरुण सी के , प्रसिथा सी के , प्रमीला सी के , रचला चकक्करा कोराचाथोथ , अजीथ सी के 68/30
4	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.0026	खदेर मुहम्मद मुस्थाफा 68/30
5	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.0008	संधीज 68/31
6	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.005	संगीठा रघुरामन , रघुरामन 68/29
7	68	निजी	रेसिडेंशियल	0.0001	संधीज 68/30
गांव का नाम: एलायवूर (किज़हुथाली )					
8	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0009	साथीसन अरायकंडी 65/23
9	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0006	शर्मिला प्रकासन , लक्ष्मी सी , हर्षा प्रकाश , अक्षय प्रकाश 65/23
10	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0027	पी पुष्पवल्ली , पी वी अनूप , पी वी शीना , पी वी अनीश 65/23

11	65/1	निजी	कमर्शियल	0.001	अनूप पी वी 65/23
12	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0005	राजन पी 65/23
13	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0023	जयप्रकाश 65/23
14	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0005	टी आरिफ अली 65/23
15	65/1	निजी	कमर्शियल	0.0011	प्रकाशन कविथाज़ा 65/23
16	65/4	निजी	कमर्शियल	0.0004	शिजा ई , दीपू सुरेश , जिथिन सुरेश , यंसोदा ए 65/24
17	65/4	निजी	कमर्शियल	0.0002	पुरम्बोके (रोड) 65/24
गांव का नाम: एदक्कड़ (चलपदिनहरेकरा)					
18	31/12	निजी	कमर्शियल	0.0015	राजीवन एन् 31/36
19	31/12	निजी	कमर्शियल	0.0039	वनजा के 31/36
20	31/28	निजी	रेसिडेंशियल	0.0007	चंद्रोथ प्रदीप 31/37
Total				0.0283	

[फा. सं. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended 3(a)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

**S.O. 827(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4537 Dated:06/10/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km. 148 to Km. 170.6 in the district of KANNUR in the state of KERALA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” dated 15/10/2025 , “Malayala Manorama” dated 15/10/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. 148 to Km. 170.6 in the district of KANNUR in the state of KERALA.**

State: KERALA			District: KANNUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Kannur</b>					
<b>Village: Kadambur (Kadambur)</b>					
1	68	Private	Residential	0.0001	Anil kumar 68/29
2	68	Private	Residential	0.001	Anil kumar 68/30
3	68	Private	Residential	0.0024	Arun C K , Praseetha C K , Prameela C K , Rachala Chkakkara Korachathoth , Ajith C K 68/30
4	68	Private	Residential	0.0026	Khader Muhammed Musthafa 68/30
5	68	Private	Residential	0.0008	Sandheej 68/31
6	68	Private	Residential	0.005	Sangeetha Raghuraman , Raghuraman 68/29
7	68	Private	Residential	0.0001	Sandheej 68/30
<b>Village: Elayavoor (Kizhuthally)</b>					
8	65/1	Private	Commercial	0.0009	Satheesan Arayakandi 65/23
9	65/1	Private	Commercial	0.0006	Sharmila Prakasan , Lakshmi C , Harsha

					Prakash , Akshay Prakash 65/23
10	65/1	Private	Commercial	0.0027	P Pushpavalli , P V Anoop , P V Sheena , P V Aneesh 65/23
11	65/1	Private	Commercial	0.001	Anoop P V 65/23
12	65/1	Private	Commercial	0.0005	Rajan P 65/23
13	65/1	Private	Commercial	0.0023	Jayaprakash 65/23
14	65/1	Private	Commercial	0.0005	T Arif Ali 65/23
15	65/1	Private	Commercial	0.0011	Prakashan Kavinthazha 65/23
16	65/4	Private	Commercial	0.0004	Shyja E , Deepu Suresh , Jithin Suresh , Yesoda A 65/24
17	65/4	Private	Commercial	0.0002	Puramboke (Road) 65/24
<b>Village: Edakkad (Chalapadinharekara)</b>					
18	31/12	Private	Commercial	0.0015	Rajeevan N 31/36
19	31/12	Private	Commercial	0.0039	Vanaja K 31/36
20	31/28	Private	Residential	0.0007	Chandroth Pradeep 31/37
<b>Total</b>				<b>0.0283</b>	

[F. No. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended 3(a)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director